राम बचन राज और अन्य

बनाम

राम उदार राय और अन्य

18 जनवरी 2006

[अरिजीत पसायत और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

सीमा अधिनियम, 1963:

अनुच्छेद 136-डिक्री के निष्पादन के लिए परिसीमा-चिरंजी लाल के मामले में पहले ही तीन न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ दिया जा चुका है; मामले को उस मामले के साथ भी रखा जा सकता है।

इस प्रश्न पर कि क्या डिक्री के निष्पादन के लिए याचिका दायर करने की सीमा अवधि डिक्री की तारीख से शुरू होती है या जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है, यानी जब उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं,

कोर्ट ने मामले को तीन जजों की बेंच को सौंपते हुए

फैसला सुनाया- न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के कई निर्णयों के बीच कुछ टकराव का क्षेत्र है। विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, चिरंजी लाल के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का

संदर्भ दिया गया है*। इस मामले को चिरंजी लाल के मामले के साथ सूचीबद्ध करने के संबंध में उचित आदेश के लिए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है।

*चिरंजी लाल (मृत) एलआरएस द्वारा बनाम हरि दास (मृत) एलआरएस द्वारा [2005] 2 एससीसी '261; डब्ल्यू बी आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम बनाम स्वदेश एग्रो फार्मिंग एंड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, [1999] 8 एससीसी 315; हमीद जौहरन (मृत) और अन्य" अब्दुल सलाम (मृत) एलआरएस और अन्य द्वारा, [2001] 7 एससीसी 573 और शंकर बलंत लोखंडे (मृत) एलआरएस बनाम चंद्रकांत एस.लोखंडे और अन्य द्वारा, [1995] 3 SCC 413, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1100/2000 (सी.आर. संख्या 729/94 में पटना उच्च न्यायालय प्रथम के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.8.95 से)

अपीलकर्ताओं की ओर से एस. चन्द्रशेखर।

प्रतिवादियों की ओर से एस.बी.सान्याल, अखिलेश कुमार पांडे, सुधांशु सरन और अभिषेक।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.

पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल रिवीजन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। सिविल पुनरीक्षण में चुनौती निष्पादन कार्यवाही में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, VII, पटना द्वारा पारित आदेश को दी गई थी। उक्त आदेश के अनुसार अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'परिसीमा अधिनियम') के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में निष्पादन याचिका के समय से बाधित होने के बारे में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई दलील अस्थिर थी।

विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि परिसीमा की अवधि डिक्री की तिथि से नहीं, बल्कि डिक्री के प्रवर्तनीय होने पर अर्थात् उस पर हस्ताक्षर होने पर प्रारंभ होती है।

अपील के समर्थन में इस न्यायालय के कई फैसलों पर मजबूत भरोसा रखा गया था, यानी डब्ल्यू.बी. एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई कॉरपोरेशन बनाम स्वदेश एग्रो फार्मिंग एंड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (1999] 8 एससीसी 315 हमीद जौहरन (मृत) और अन्य बनाम अब्दुल सलाम (मृत) एलआरएस और अन्य द्वारा, [200 आई] 7 एससीसी 573

हमीद जौहरन के मामले (सुप्रा) में विभिन्न शब्दकोशों से 'प्रवर्तन' शब्द के अर्थ का संदर्भ देने के बाद यह कहा गया था कि 'जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है' शब्द को शाब्दिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और विधायकों की मंशा के अनुसार 12 वर्ष की अवधि की गणना डिक्री लागू होने की तिथि से की जाएगी अर्थात डिक्री या आदेश की तिथि से।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून की सही स्थिति शंकर बालंत लोखंडे (मृत) बाय एलआरएस बनाम चंद्रकुंत एस .लोखंडे और अन्य, [1995] 3 एससीसी 413 और में व्यक्त की गई है। अन्य दो मामलों में कानून के सही सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने पाया है कि दो-न्यायाधीशों की बेंच के कई फैसलों के बीच कुछ क्षेत्र में टकराव है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन निर्णयों के बीच विरोधाभास को देखते हुए, एलआरएस द्वारा चिरंजी लाल (मृत) बनाम एलआरएस द्वारा हरि दास (मृत) मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ दिया गया है .. [2005] 2 एससीसी 261।

इस मामले को चिरंजी लाल के मामले (सुप्रा) के साथ उचित आदेश देने के लिए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी रखा जा सकता है।

आर.पी.

अपील को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।